चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी एवं प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय तथा उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र भरतकूप से अपहरण हुए मनोज पाल की घटना का अनावरण करते हुए 04 आरोपी अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.हिमांशु पाल पुत्र अनिल पाल निवासी कचहरी के पीछे गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र करीब 26 वर्ष

2. अनिल पाल पुत्र देवीचरन निवासी निवासी कचहरी के पीछे गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र करीब 45 वर्ष

3. रोहित पुत्र राजेश साहू निवासी सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 21 वर्ष

4. राजू पाल पुत्र मुन्ना पाल निवासी सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगीः-

1. 04 अदद मोबाइल फोन
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद गाड़ी आई-20, नं0 UP 32 LM 7797
3. 2400/- रूपये जामा तलाशी से

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

गोडा मोड़ रोड थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट,दिनाँक 24.08.2026 की समय करीब 02.35 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.08.2026 को वादिया पट्टी देवी पत्नी मनोज पाल निवासी बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 19.08.2026 को सुबह से उनके पति मनोज पाल पुत्र देवीचरन ई-रिक्शा चलाने के लिए कर्वी गये थे जो शाम तक वापस नही आये तो वादिया व उसके पुत्र अजय पाल ने तलाश की तो दिनांक 20.08.2026 को मनोज पाल की ई-रिक्शा चौहान ढ़ाबा के पास कर्वी रोड के किनारे खड़ा मिला वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति ने बताया कि शाम 07.30 बजे ई-रिक्शा चालक को कुछ लोग जबजस्ती चार पहिया वाहन में बैठाकर ले गये। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 146/2026 धारा 140(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा एसओजी/सर्विलांस प्रभारी तथा प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

दौराने विवेचना सीसीटीवी फुटेज से प्रकाश में आयी घटना में प्रयुक्त गाड़ी आई-20 कार व उसके नम्बर से वाहन स्वामी का नाम,मो0नं0 तथा अपहृत मनोज पाल के मो0नं0 घटना के समय मौजूद तथा कुछ गवाहों के आधार पर इस घटना का सफल अनावरण किया गया।

आज दिनाँक 24.08.2026 को एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना भरतकूप पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चौहान ढ़ाबा के पास कर्वी रोड से अपरहण हुए मनोज पाल से संबंधित अभियुक्त गोड़ा मोड़ के पास अपने आई-20 कार के साथ कुछ करने के फिराक में खड़े है। इस सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आरोपीगण 1.हिमांशु पाल पुत्र अनिल पाल निवासी कचहरी के पीछे गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र करीब 26 वर्ष 2. अनिल पाल पुत्र देवीचरन निवासी निवासी कचहरी के पीछे गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र करीब 45 वर्ष 3. रोहित पुत्र राजेश साहू निवासी सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 21 वर्ष 4. राजू पाल पुत्र मुन्ना पाल निवासी सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 30 वर्ष को समय 02.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो से बारी बारी पूछताछ की गयी तो अभियुक्त हिमांशु पाल पुत्र अनिल पाल निवासी कचहरी के पीछे गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा उम्र करीब 26 वर्ष द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि साहब मेरे पिता दो भाई है जिनमे एक का नाम मनोज पाल तथा मेरे पिता का अनिल पाल है। मेरे बाबा देवीचरन ग्राम गौरीकला थाना जसपुरा जनपद बांदा के नाम पर सात बीघा जमीन थी तथा भरुआ सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में तीन मकान खरीदे थे । बाबा ने भरूआ सुमेरपुर के तीनों मकानों मे से एक मकान मनोज पाल व दुसरा मकान अनिल पाल को दिया था और एक मकान में दोनों भाई ऊपर नीचे रहते थे। बाद में अनिल अपना अलग वाला मकान बेच कर महोबा रहने लगा और मनोज अपना अलग वाला मकान बेंच कर भरतकूप में रहने लगा । जो मकान भरूआ सुमेरपुर में साझेदारी में था उसको कब्जा करने के इरादे से यह साजिश रचकर मनोज पाल की हत्या की गयी।
बरामद गाड़ी आई-20, नं0 UP 32 LM 7797 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया । जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238,61(1),103(1),3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

एसओजी/सर्विलांस टीमः-

1.निरीक्षक श्री एम.पी त्रिपाठी
2.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
3.आरक्षी रोहित सिंह
4.आरक्षी गोलू भार्गव
5.आरक्षी रोशन सिंह
6.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
7.आरक्षी जयनारायण पटेरिया
8.आरक्षी पवन कुमार
9.आरक्षी आशीष सिंह
10.आरक्षी राघवेन्द्र सिंह

थाना भरतकूप की पुलिस टीमः-

1.श्री विनोद कुमार राय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप
2.श्री अभयराज सिंह अपराध निरीक्षक
3.उ0नि0 श्री बलवन्त यादव
4.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय
5.आरक्षी कामता सिंह
6.आरक्षी विवेक सिंह

7.आरक्षी संतोष पटेल
8.आरक्षी सूरज मौर्य
9.आरक्षी सचिन गुप्ता
10.आरक्षी चालक शक्ति सिंह

(3).दिनांक 23.08.2026 को पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन उ0प्र0 (वामा सारथी) के तत्वाधान में पुलिस लाइन चित्रकूट में बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा एवं कौशल का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता के अंतर्गत हर्डल रेस, क्रिकेट बॉल थ्रो एवं बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिताओं में पुलिस परिवार के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा पूरे उत्साह एवं खेल भावना के साथ प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव की उपस्थिति में प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं संचालन कराया गया। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला तथा प्रतिभागी बच्चों को अनुशासन, मेहनत एवं खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (वामा सारथी) द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस परिवार के बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने, शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास करना है।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा सभी प्रतिभागियों ने खेल भावना का परिचय देते हुए प्रतियोगिताओं में सहभागिता की।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री विनोद यादव, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 24.08.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 526/2019 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त छोट्टन सोनी पुत्र धीरेन्द्र कुमार सोनी निवासी गोल तालाब कुंजन पुरवा कसहाई रोड कर्वी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष 08 माह 20 दिवस का कारावास व 1250/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।